प्रेषक,

संख्या-545/24-पी-3-2023-526/2023

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग,
गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय : उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के बिन्दु 3.1 (6) के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु लागू टैरिफ को औसत आपूर्ति लागत से कम न रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया औद्योगिक विभाग अनुभाग-6 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु 3.1 (6) में यह प्राविधान किया गया है कि "उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा ई0वी0 चार्जिंग के लिए विशेष टैरिफ श्रेणी को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में ई0वी0 चार्जिंग के लिए समय-समय पर टैरिफ दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए यू0पी0ई0आर0सी0 के साथ् नियमित रूप से समन्वय करेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नीति के बिन्दु संख्या-3.1 (6) के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

mycomputer/d:drive.mm/letter-4

<u>संख्या एवं तदैव दिनांक</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।